# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 07/2021

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1नरेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रामस्वरूप जाति माहेश्वरी निवासी करवो का मोहल्ला, मेडतासिटी। फर्म–मैसर्स नरेन्द्र कुमार झंवर, पडाव बाजार मेडतासिटी। 2ओमप्रकाश पुत्र भागूराम निवासी देराणी रोड, अमरावतो का मोहल्ला, मेडतासिटी। फर्म–मैसर्स रामेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी, सीलमगरा, तेलियो का मोहल्ला, मेडतासिटी। 3सत्येन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी मुगन जिला रोहतक, हरियाणा। फर्म–श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राउण्ड फ्लोर जे–94 सेक्टर, 4 बवाना इण्ड. एरिया बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली। 4फर्म–श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राउण्ड फ्लोर जे–94 सेक्टर, 4 बवाना इण्ड. एरिया बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली। |

## आदेश

दिनांक : 22-07-2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-01-2020 को मैसर्स नरेन्द्र कुमार झंवर पडाव बाजार मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (अर्श डेयरी) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1232 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 12/एक्ट/2020/06 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (अर्श डेयरी) अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त घी की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक FT/AQCL/FSSA(384F)/2020 दिनांक 31.07.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (अर्श डेयरी) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रामस्वरूप जाति माहेश्वरी निवासी करवो का मोहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर, ओमप्रकाश पुत्र भागूराम निवासी देराणी रोड, अमरावतो का मोहल्ला, मेडतासिटी, सत्येन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी मुगन जिला रोहतक, हरियाणा तथा फर्म श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी ग्राउण्ड फ्लोर जे–94 सेक्टर, 4 बवाना इण्ड. एरिया, बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 04-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दिनांक 16.07.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं.1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से घी का नमूना भरा था। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। वो घी मैने रामेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी मेडतासिटी से लिया था। भविष्य मे घी की गुणवत्ता का ध्यान मे रखते हुए खरीद करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब मे बताया कि मैसर्स नरेन्द्र कुमार झंवर पडाव बाजार मेडतासिटी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने जो घी का नमूना लिया था। वो हमारी फर्म द्वारा विक्रय किया गया है और उक्त घी हमने श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी ग्राउण्ड फ्लोर जे–94 सेक्टर 4 बवाना इण्डस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली से खरीदा गया था। वो घी सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य मे घी खरीदते समय गुणवत्ता का ध्यान रखेगे। अतः कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा जो घी का सेम्पल लिया गया था। वो जांच मे सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। वो घी हमारी फर्म द्वारा बेचा गया। भविष्य मे घी बनाते समय उसकी गुणवत्ता ध्यान रखेगे। अतः कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे दिनांक 20.01.2020 को मैसर्स नरेन्द्र कुमार झंवर पडवा बाजार मेडता पर खाद्य पदार्थ घी (अर्श डेयरी) मिसब्राण्ड, सब स्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर एफएसएसए 2006 के तहत नमूना लिया गया है तथा नमूने की कार्यवाही मौके पर उपस्थित गवाहो की उपस्थिति मे की गई है। तत्पश्चात उक्त नमूनो के पैकेटो का विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति मे लेबल तैयार कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड एवं सीरीयल नं. क्यू – 1232 अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान व प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा उक्त लेबल मे से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतलो पर गोद से चिपकाया व एक अन्य लेबल तैयार कर उस पर गवाह, विक्रेता एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये, को परिवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार सील चपडी किया गया है तथा खाद्य पदार्थ घी का

अति. जिला मजिस्ट्रेट

नमूना जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 12/एक्ट/2020/06 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (अर्श डेयरी) अनसेफ होना पाया गया। जिस पर अप्रार्थी उक्त जांच से असंतुष्ट होने पर उक्त घी के नमूने की पुनः जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक FT/AQCL/FSSA(384F)/2020 दिनांक 31.07.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (अर्श डेयरी) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब मे अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया जाना साबित है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 नरेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रामस्वरूप जाति माहेश्वरी निवासी करवो का मोहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर, पर रूपये 35,000/– अक्षरे पैंतीस हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र भागूराम निवासी देराणी रोड, अमरावतो का मोहल्ला, मेडतासिटी पर रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये, तथा अप्रार्थी सं. 3 सत्येन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी मुगन जिला रोहतक, हरियाणा तथा अप्रार्थी सं. 4 फर्म श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी ग्राउण्ड फ्लोर जे–94 सेक्टर, 4 बवाना इण्ड. एरिया, बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली पर संयुक्त रूप से रूपये 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये कुल रूपये 2,35,000/– अक्षरे दो लाख पैंतीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)